

फर्म अधिकांश

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

अम्बालाल बनाम लक्ष्मीलाल भाण्डल

किरम मुकदमा प्रा.पत्र 10 246 दि. 2015

दिनांक

हुकम या कार्यवाही मय इतिहासका जज

1-5-15

वाद / प्रार्थनापत्र बाद जोश प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मान नोटिस जारी किये जावें। पत्रावली दिनांक 8-9-15 पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल

24-6-15

पत्रावली कोर्ट के माध्यम से पेश। प्रार्थनापत्र ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 13 के अन्तर्गत आने वाले ग्राम चारबेड की श्रावण दारी आ.नं. 928 शकल 01 की धारा बिरवा की निस्सम 01 मु.बा.डा के बाजाप को, भारत दर्ज करने का अनुमोदन किया है। प्रकरण मुगत आ.पु.बंध के रेन्डाई एवं पत्रावली चारबेड की श्रावण दारी की अवलोकन किया गया। आ.पु.बंध रेन्डाई अनुसार आ.नं. 928 के शाब्दिक नम्बर 765/2 द्वारा निस्सम 01 भारत दर्ज है, जिसमें पत्रावली श्रावण अनुसार यह आबादी ग्राम की आबादी आ. 1.5 R.M. 22 होकर इसमें निस्सम 10 बिरवा भूमि पर कपास की फसल लागत है।

अतः प्रार्थना पत्र प्राथमिक श्रुति का विना जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम चारबेड के आ.नं. 928 शकल 01 की धारा बिरवा की निस्सम प्रकृत आ. न. भारत दर्ज की जावे। लक्ष्मीलाल दाह को पालना हेतु निष्काव की प्रति भिजवाई जावे।

आज यह निर्णय सुबुलेन यादालय में सुनाया गया।

पत्रावली के द्वारा शुमार हो कर न 2002 से काम हो


(देवी सिंह)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर माण्डल

24-8-15

सहस्रीलदार माण्डल के नए अयने पत्र
कुमाँव, राजस्व 15/1014 दिनांक 19.8.15
में अख्तगत व्यापकता है कि निर्णय दिखी
दिनांक 24.6.15 में पारित में ग्राम चारवेड
के अ. नं 928 रकबा वाली है। निरला
विस्म परिवर्तन का कारत दर्ज की जावे।
किन्तु राजस्व रेकार्ड में विस्म काबिल
कारत नहीं है। विस्म काबिल कारत के
व्यक्तप वंजड कारत दर्ज करके के आदेश
स्पष्ट करावे।

अतः आदेश दिया जाता है कि निर्णय
दिनांक 24.6.15 में ग्राम चारवेड के अ. नं
928 रकबा वाली है। निरला कि विस्म
परिवर्तन काबिल कारत अर्थात् विस्म
वंजड दर्ज कि जावे। सहस्रीलदार को
पालनाप निर्णय पत्र में जमाई जावे।

पत्रावाली दिशला शुमार हो कार ताम्बर
में काम हो


सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, माण्डल